



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 27.03.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 178/24 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार , जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 22.03.2024 को वादी पारुल पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम खेड़ा इस्लामपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.आशीष पुत्र उदयवीर, 2.आकाश उर्फ छोटू पुत्र सहाब सिंह उर्फ पलटू, 3.आदेश पुत्र उदयवीर, 4.पवन पुत्र सतवीर निवासीगण ग्राम खेड़ा इस्लामपुर



थाना बडौत जनपद बागपत के द्वारा उसके घर में घुसकर उसके व उसके भतीजे आर्यन के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा अभियुक्त आशीष ने उसकी बहन को जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 178/24 धारा 307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 178/24 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-आशीष पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम खेड़ा इस्लामपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-आकाश उर्फ छोटू पुत्र साहब सिंह निवासी ग्राम खेड़ा इस्लामपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

## बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्रपाल सिंह थाना बडौत ।
- 2-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत ।
- 3-है0का0 414 मानसिंह थाना बडौत ।
- 4-है0का0 306 राजीव कुमार थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 27.03.24

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 100/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1.सुहैल पुत्र महताब निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

## बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-का0 594 सरफराज खान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-का0 751 शादाब थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 27.03.24

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 101/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आशु पुत्र चांदू निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

## बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-का0 479 कुलदीप शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।